भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1762

13 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात निर्यात

1762. श्री निहाल चन्द चौहान:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा में इस्पात का उत्पादन हुआ है और वैश्विक उत्पादन में इसका हिस्सा कितना है;

(ख) देश में इस्पात की वर्तमान घरेलू मांग कितनी है और देश विश्व के इस्पात निर्यात में का हिस्सा कितना है; और

(ग) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान देश को वैश्विक स्तर पर इस्पात का शीर्ष उत्पादक बनाने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क): विगत दो वर्षों में देश में क्रूड इस्पात के उत्पादन और विश्व उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी के आंकड़े नीचे दिए गए है:

अवधि	**क्रूड इस्पात उत्पादन (मिलियन टन में)**		
	भारत	**विश्व**	**भारत की हिस्सेदारी प्रतिशतता**
2021	118.2	1914.4	6.2
2022*	125.3	1834.4	6.8
स्रोत: भारत के लिए: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); विश्व के लिए: वर्ड स्टील; *अनंतिम			

(ख): (i) अप्रैल से नवंबर 2023-24 तक तैयार इस्पात की कुल खपत के आंकड़े बढ़ी हुई मांग को दर्शाते हैं। विवरण नीचे दिया गया है:

मद	**कुल तैयार इस्पात**		
	अप्रैल-नवम्बर 2023-24 (एमटी)*	**अप्रैल-नवम्बर 2022-23 (एमटी)**	**% परिवर्तन***
खपत	86.9	75.7	14.8
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); *अनंतिम (जेपीसी डीओ रिपोर्ट)			

(ii) जनवरी-सितंबर 2023 (अनंतिम) के दौरान भारत द्वारा कुल इस्पात के निर्यात और उसी अवधि के लिए कुल इस्पात के वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

अवधि	**कुल इस्पात निर्यात (मिलियन टन में)**		
	भारत	**विश्व**	**भारत की हिस्सेदारी प्रतिशतता**
जनवरी-सितम्बर 2023*	6.30	248.24	2.5
स्रोत: विश्व के लिए - वर्ल्डस्टील; भारत के लिए - जेपीसी; *अनंतिम			

(ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस्पात उत्पादन, घरेलू खपत और निर्यात संबंधी निर्णय अलग-अलग इस्पात उत्पादकों द्वारा बाजार की मांग और अन्य वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर लिए जाते हैं। हालांकि, सरकार ने विगत तीन (3) वर्षों में समग्र इस्पात क्षेत्र हेतु एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण तथा आयात को रोकने और जनसाधारण के लिए गुणवत्तायुक्त इस्पात उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित करना।
ii. देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।
iii. भारत के इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कतिपय इस्पात उत्पादों पर एंटी डम्पिंग (एडीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) जैसे कारोबारी सुधारात्मक उपायों के अंशांकन (कैलिब्रेशन) सहित इस्पात उत्पादों तथा कच्चे माल पर आधारभूत सीमा शुल्क में समायोजन।
iv. अवसंरचना, आवासन और विनिर्माण क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने और देश में इस्पात की समग्र मांग को बढ़ाने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों जैसे संभावित हितधारकों के साथ सहभागिता।
v. उद्योग संघों तथा स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधाकरकों के साथ बातचीत ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

*****